उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः–391604/VIII-1/26–228(श्रम)/2001
देहरादून, दिनांकः 29 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

आदेश

संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 2492, दिनांक 15 मई, 2000 में अभियन्त्रण इकाईयों तथा उद्योगों हेतु न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया था। लोक व्यवस्था बनाये रखने व नियोजन अभियन्त्रण इकाईयों तथा उद्योगों का अनुरक्षण करने लिए अधिसूचना संख्याः–1233, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 2492, दिनांक 16 मई, 2000 का विस्तार 16 मई, 2006 से 02 वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा मजदूरी दरें पुनरीक्षित किये जाने की तारीख, जो भी पहले हो, तक किया गया। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अभियन्त्रण इकाईयों तथा उद्योगों हेतु न्यूनतम मूल वेतन को पुनरीक्षित किये जाने की निर्गत अधिसूचना के क्रम में मंत्री मेटल्स वर्कर्स यूनियन, सिडकुल व अन्य द्वारा अभियन्त्रण इकाईयों तथा उद्योगों हेतु मूल मजदूरी को पुनरीक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के अनुक्रम में त्रिदलीय समिति का गठन किया गया था, किन्तु कतिपय कारणों से त्रिदलीय समिति की बैठक आहूत न हो पाने के कारण समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

2– जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 34/कैम्प कार्या०/जि०अ०/2026, पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विगत दिवस एनसीआर क्षेत्र एवं उसके आसपास के प्रचलित औद्योगिक क्षेत्रों में हुई घटना के सन्दर्भ में सिडकुल उद्यमी कल्याण समिति, पन्तनगर, उत्तराखण्ड द्वारा उद्यमी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के लम्बित संशोधन के सम्बन्ध में एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनुरोध पत्र में उत्तराखण्ड राज्य में न्यूनतम मजदूरी का संशोधन न होने के कारण उत्तराखण्ड के औद्योगिक क्षेत्रों पर सम्भावित प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। उक्त के अतिरिक्त उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर ने पत्र संख्या 2273–75, दिनांक 18.04.2026 तथा पत्र संख्या 2269–71, दिनांक 18.04.2026 के द्वारा मजदूरों के शोषण होने तथा न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने के संबंध में विभिन्न श्रमिक संगठनों तथा एशोसिएशन का ज्ञापन एवं श्रमिक अशांति के परिणामस्वरूप कतिपय औद्योगिक इकाईयों के नियोक्ताओं एवं कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई वार्ताओं के परिणाम के संबंध में सूचना श्रमायुक्त उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी गई।

3– इस संबंध में श्रमायुक्त उत्तराखण्ड ने भी अपने पत्र संख्या 1112/प्रवर्तन /2026 दिनांक 18.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना

दिनांक 21.11.2025 द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 प्रभावी हो गयी है एवं इसके क्रम में मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 के प्रख्यापन की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर के पत्र दिनांक 17.04.2026 के माध्यम से उत्तराखण्ड के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक असंतोष व औद्योगिक अशांति की आशंका व्यक्त की गयी है, जिसका शीघ्र समाधान न होने से नोएडा, उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी औद्योगिक अशांति की आशंका के संबंध में अवगत कराया गया। उक्त के दृष्टिगत श्रमायुक्त उत्तराखण्ड द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियन्त्रण इकाईयों तथा उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों के वेतन पुनरीक्षण हेतु कार्यवाही का अनुरोध/प्रस्ताव किया गया। कालान्तर में मजदूरी संहिता, 2019 व मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण/पुनर्निर्धारण किया जाना विधिक रूप से उचित होने के संबंध में भी श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया।

4– चूंकि पूर्व अधिसूचना को निर्गत हुए लगभग 20 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। विगत कई वर्षों के दौरान निर्वाह–व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप श्रमिकों के क्रयशक्ति में हो रहे ह्रास के कारण श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त है। कतिपय श्रमिक संगठनों/फेडरेशनों द्वारा आन्दोलन /हड़ताल आदि का आह्वान किये जाने का तथ्य संज्ञान में आया है, जिसका निराकरण किया जाना औद्योगिक शांति तथा नियोजन को बनाए रखने में हित में है। उक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप तथा औद्योगिक सद्भाव बनाये रखने के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियन्त्रण इकाईयों तथा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण पर विचार विमर्श हेतु शासन की अधिसूचना संख्या 493(1)/VIII-1/26–17(श्रम)/2026, दिनांक 22.04.2026 द्वारा सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में त्रिदलीय समिति का गठन किया गया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड एवं उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 02 प्रतिनिधि तथा श्रमिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 02 प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे।

5– उक्त गठित त्रिदलीय समिति की दिनांक 27.04.2026 को आहूत बैठक में चर्चा के दौरान श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि इन्जीनियरिंग तथा नॉन इन्जीनियरिंग इकाईयों की कार्य दशाएं भिन्न–भिन्न होती हैं, तद्नुसार ही इन्जीनियरिंग इकाईयों हेतु वेतन पुरीक्षण किये जाते समय इस तथ्य का संज्ञान लिया जाए तथा अनुरोध किया गया कि पुनरीक्षण किये जाते समय बेसिक तथा डी०ए० का स्पष्ट उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है।

6– दूसरी ओर नियोक्ता प्रतिनिधियों द्वारा कथन किया गया कि अभियन्त्रण इकाइयों का वेतन पुनरीक्षण राज्य गठन के उपरान्त आतिथि तक नहीं किया गया है। तद्नुसार वेतन वृद्धि की जानी उचित होगी तथा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा

हाल ही में वेतन पुनरीक्षण किया गया है। राज्य में गैर अभियन्त्रण इकाईयों हेतु वर्ष 2024 में यह पुनरीक्षण किया जा चुका है। अतः वर्तमान पुनरीक्षण अभियन्त्रण इकाईयों (50 से अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले) हेतु किया जाए। त्रिदलीय समिति द्वारा सभी पक्षों पर विचार–विमर्शोपरान्त 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियन्त्रण इकाईयों/उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों को निम्नानुसार मजदूरी संदत्त किये जाने पर त्रिदलीय समिति के सदस्यों में सहमति हुई:–

श्रेणी	दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी मूलवेतन समायोजित डी०ए० सहित
अकुशल	13,800
अर्द्धकुशल	15,000
कुशल	16,900

7– अतएव अब, 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियन्त्रण इकाईयों/उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों हेतु पूर्व मे इस संबंध में निर्गत समस्त अधिसूचना एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा–21 के साथ सपठित संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा–3(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अग्रिम आदेशों तक अंतरिम राहत के रूप में कर्मकारों को निम्नवत तालिका में विर्निदिष्ट दरों पर न्यूनतम मजदूरी संदत्त की जाएगी:–

श्रेणी	दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी मूलवेतन समायोजित डी०ए० सहित
अकुशल	13,800
अर्द्धकुशल	15,000
कुशल	16,900

Digitally signed by
Sridhar Babu Addanki
Date: 29-04-2026
12:54:17

(डी0 श्रीधर बाबू अद्दांकी)
सचिव।

संख्या 391604 (1)/VIII-1/26–228(श्रम)/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, को मा0 श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
सं0–510 / VIII-1 / 2026–228 (श्रम) / 2001
देहरादून दिनांक 30 अप्रैल, 2026

अधिसूचना / संशोधन

राज्य में 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियंत्रण इकाइयों / उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों की अंतरिम न्यूनतम मजदूरी निर्धारण विषयक शासन की अधिसूचना सं0– 391604 / VIII-1 / 26–228(श्रम) / 2001 दिनांक 29 अप्रैल, 2026 के प्रस्तर 6 एवं 7 की तालिका में अर्द्धकुशल के सम्मुख अंकित 15000 के स्थान पर 15100 पढ़ा एवं समझा जाय।

2 उक्त अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा0 श्रीधर बाबू अद्दांकी)
सचिव।

सं0– –(1)/ VIII-1 / 2026–228 (श्रम) / 2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, को मा0 श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाऊं मण्डल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर / संयुक्त / उप / सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूढ़की, हरिद्वार को उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।